# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–काना राम आई.ए.एस.

**प्रकरण संख्याः 09/2021** अर्न्तगत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

स्टेट जरिये विनोद कुमार प्रवर्तन अधिकारी, हनुमानगढ़।

––प्रार्थी

बनाम

रूपराम पुत्र श्री पतराम निवासी रावतसर–पल्लू रोड, पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––अप्रार्थी

उपस्थितः–1. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि.।
2. अप्रार्थी गैर हाजिर।

निर्णय दिनांकः–12.06.2024

राजस्थान राज्य जरिये विनोद कुमार प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.09.2020 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ मय कार्यालय स्टाफ पूरबसर, रावतसर पल्लू रोड़ स्थित एक दुकान में डीजल का अवैध भण्डारण व बेचान की सूचना पर उक्त दुकान पर उपस्थित हुए। मौके पर रूपराम एवं अन्य गवाहों की उपस्थिति में सील खुलवाकर दुकान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान दुकान में 510 लीटर डीजल मय 4 प्लास्टिक ड्रम, 4 लोहे के माप, 2 लोहे की कीप, 2 डीजल निकालने वाला हस्तचलित पम्प मिला। मौके पर पाया गया सामान दुकान में डीजल के विक्रय, कारोबार का होना स्पष्ट करता है। रूपराम द्वारा उनके पास डीजल विक्रय, कारोबार करने हेतु वैध दस्तावेज, लाइसेंस, परमिट आदि नहीं होना बताया। मौके पर जब्तशुदा सामान के सम्बन्ध में कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं अवैध भण्डारण एवं कारोबार स्पष्ट होने के कारण 510 लीटर डीजल मय 4 प्लास्टिक ड्रम, 4 लोहे के माप, 2 लोहे की कीप, 2 डीजल निकालने वाला पम्प को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जब्त की गई उक्त सामग्री श्री पतराम पुत्र श्री पदमाराम जाति नायक निवासी पूरबसर तहसील रावतसर की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार श्री रूपराम पुत्र श्री पतराम निवासी रावतसर पल्लू रोड, पूरबसर तहसील रावतसर द्वारा मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 4 का उल्लघंन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए प्रस्तुत कर उक्त 510 लीटर डीजल मय 4 प्लास्टिक ड्रम, 4 लोहे के माप, 2 लोहे की कीप, 2 डीजल निकालने वाले हस्तचालित पम्प को राजसात करने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा डीजल–पैट्रोल ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 05.10.2020 को दिये जा चुके है।

अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 19.10.2020 को नोटिस जारी होने के बाद विधिवत तामिल होकर प्राप्त हुआ। दिनांक 26.10.2020 को प्रार्थी जरिये वकील उपस्थित हुआ व दिनांक 12.01.2021 को जरिये वकील जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी लगातार न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज की गयी।

अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी गांव पूरबसर (रावतसर) का रहने वाला है। अप्रार्थी के निवास स्थान गांव पूरबसर रावतसर पल्लू रोड़ से उपरोक्त समस्त सामान मय डीजल 510 लीटर अवैध रूप से जब्त किया है। अप्रार्थी ने दिनांक 11.09.2020 को जिला रसद अधिकारी को भी वरवक्त कार्यवाही जब्ती मौखिक रूप से बताया था कि अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्य अपने घरू उपयोग हेतु एवं निजी साधनों यथा ट्रैक्टर (कृषि भूमि में प्रयुक्त), ट्रक, बौलेरो कैम्पर इत्यादि में ईधन के रूप में डीजल का उपयोग करते है, उक्त डीजल को निजी साधनों में डालने हेतु कीप, लोहे के माप आदि रखे हुए थे जिनका उपयोग अप्रार्थी व अप्रार्थी के परिवार के सदस्यों द्वारा निजी साधनों में डीजल डालने हेतु किया जाता रहा है। उपरोक्त तेल का बेचान नहीं किया जाता है परन्तु जिला रसद अधिकारी, अप्रार्थी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। अप्रार्थी ने उपरोक्त डीजल खरीद के मूल बिल व साधनों तथा (ट्रेक्टर, ट्रक व बौलेरो) के मूल दस्तावेज वरवक्त जब्ती प्रस्तुत कर दिये गये थे। वरवक्त जब्ती प्रार्थी न तो किसी व्यक्ति को उपरोक्त डीजल बेच रहा था और ना ही ऐसा कोई व्यक्ति वरवक्त जब्ती डीजल खरीद रहा था। प्रार्थी ने केन्द्र सरकार द्वारा पारित अधिसूचना अनुसार ही डीजल खरीद कर घर के बाहर बने कमरा में निजी वाहनों के प्रयोग हेतु भण्डारित कर रखा था। अप्रार्थी द्वारा जब्तशुदा डीजल को अपने साधनो में डालने के लिये अन्य जब्त उपकरणों का उपयोग व उपभोग किया जाता है। अतः जवाब परिवाद अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर अप्रार्थी के विरूद्ध खोली गई अवैध कार्यवाही को ड्रॉप कर अप्रार्थी से जब्तशुदा सामान अप्रार्थी को वापिस लौटाये जाने तथा जब्ती से आदेश की तारीख तक ब्याज 6 प्रतिशत वार्षिक दिलाई जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गयी। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से डीजल का भण्डारण कर बिक्री का कार्य करते पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा डीजल एवं पेट्रोल को ड्रम, 4 लोहे के नाप व हस्तचालित पम्प के साथ जब्त किया गया है। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के अवैध डीजल रखना व विक्रय करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा डीजल मय प्लास्टिक के ड्रम, लोहे के विभिन्न नाप आदि को राज्य पक्ष में राजसात किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जबाव में बताया है कि अप्रार्थी के निवास स्थान गांव पूरबसर रावतसर पल्लू रोड़ से उपरोक्त समस्त सामान मय डीजल 510 लीटर अवैध रूप से जब्त किया है। अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्य अपने घरू उपयोग हेतु एवं निजी साधनों यथा ट्रैक्टर (कृषि भूमि में प्रयुक्त), ट्रक, बौलेरो कैम्पर इत्यादि में ईधन के रूप में डीजल का उपयोग करते है, उक्त डीजल को निजी साधनों में डालने हेतु कीप, लोहे के माप आदि रखे हुए थे जिनका उपयोग अप्रार्थी व अप्रार्थी के परिवार के सदस्यों द्वारा निजी साधनों में डीजल डालने हेतु किया जाता रहा है। उपरोक्त तेल का बेचान नहीं किया जाता है अप्रार्थी ने उपरोक्त डीजल खरीद के मूल बिल व साधनों तथा (ट्रेक्टर, ट्रक व बौलेरो) के मूल दस्तावेज वरवक्त जब्ती प्रस्तुत कर दिये गये थे। पत्रावली पर उपलब्ध जांच दल की फर्द जांच का अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया 510 लीटर डीजल मय 4 लोहे के माप, 2 डीजल निकालने

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

वाले हस्तचालित पम्प अप्रार्थी की दुकान से ही जब्त करना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जबाव के साथ ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह जाहिर होता हो कि प्रश्नगत डीजल उसकी दुकान से जब्त नहीं हुआ है। अप्रार्थी द्वारा अपने जबाव में जो कथन किये गये है वे After Thought होने के कारण मानने योग्य नहीं है। अप्रार्थी से जांच के समय जिला रसद अधिकारी, हनुमागढ़ द्वारा लोहे के 4 माप व 2 हस्तचालित पम्प भी जब्त किये गये हैं। एक और तो वाणिज्यिक परिसर से जब्ती दूसरा माप आदि रखना आदि तथ्य सिद्ध करते है कि अप्रार्थी डीजल का उपयोग स्वयं के निजी साधनों यथा ट्रैक्टर (कृषि भूमि में प्रयुक्त), ट्रक, बौलेरो कैम्पर इत्यादि हेतु नहीं करता, इसके अलावा अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वक्त निरीक्षण डीजल जब्ती, कोई बिल लाईसेंस व परमिट इत्यादि मौके पर उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा ना ही अब कोई ठोस दस्तावेज साक्ष्य आदि पेश हुए हैं जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी (स्टेट) का स्वीकार किया जाता है। जब्तशुदा 510 लीटर डीजल मय 4 प्लास्टिक ड्रम, 4 लोहे के माप, 2 लोहे की कीप, 2 डीजल निकालने वाले हस्तचालित पम्प को न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ द्वारा जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 05.10.2020 को दिये जा चुके हैं, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते हनुमानगढ़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़